सं0– 1233/IV(2)-श0वि0–09–67(सा0)/06

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक– 16 अक्टूबर, 2009**

विषय : नगर पालिका परिषद, विकासनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 688/V–श0वि–06–67(सा0)/06 दिनांक 25–3–2006, शासनादेश संख्या 231/IV(2)–श0वि0–08–67(सा0)/06 दिनांक 29–3–2008 तथा पत्र संख्या 1627/IV(2)–श0वि0–08–67(सा0)/06 दिनांक 22–12–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **नगर पालिका परिषद, विकासनगर जनपद देहरादून** के अन्तर्गत रू0 454.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः रू0 142.60 लाख, रू0 80.00 लाख तथा रू0 77.73 लाख, इस प्रकार कुल रू0 300.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकासनगर के पत्र संख्या मेमो/अ0नि0–उपयोगिता/2009–10 दिनांक 3–8–2009 के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25–3–2006 के माध्यम से स्वीकृत कार्य के लिए स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 152.97 लाख में से वर्तमान वित्तीय वर्ष से **रू0–51.27 लाख (रूपये इक्कयावन लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **रू0–51.27 लाख (रूपये इक्कयावन लाख सत्ताईस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. **उक्त धनराशि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुदान संख्या–31 जनजाति उपयोजना से स्वीकृत की जा रही है। अतएव शांपिग काम्पलैक्स में दुकानों के आबंटन हेतु 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से आबंटित करते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा। किसी भी दशा में उपरोक्तानुसार आरक्षित दुकानों का आबंटन अन्य को न किया जाये।**
3. शासनादेश संख्या 688/V–श0वि–06–67(सा0)/06 दिनांक 25–3–2006 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
6. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, उक्त के विषय एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
7. कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

8. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर ही निर्गत की जायेगी।

9. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

10. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

11. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2010 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

13. **अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रति शासन तथा शहरी विकास निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।**

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या 30** के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे **रू0 42.35 लाख** तथा **अनुदान संख्या 31** के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे **रू0 8.92 लाख** की धनराशि डाली जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 488/XXVII(2)/2009, दिनांक– 29 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं0– 1233 (1)/IV(2)-श0वि0–09,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, **विकासनगर।**
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौडियाल)
अपर सचिव।